

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फॅक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 1364 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 18/09/2025

सेवा में,

सिविल जज,
जू0डि0, रानीखेत।

विषय - जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या-FP/UK/OTHER/150277/2022) हेतु डिमाण्ड नोट के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - भारत सरकार का पत्र सं0-8बी0/यू0सी0पी/06/19/2022/एफ0सी0 दिनांक-26.03.2025।

प्रदोष्य,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें एस0एम0सी0 व वाईल्ड लाईफ मैनेजमेंट प्लान की धनराशि जमा किये जाने हेतु डिमाण्ड नोट निम्नवत प्रेषित है।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति के भाग-2 के शर्त संख्या 6 के अनुपालन में वाईल्ड लाईफ मैनेजमेंट हेतु देय धनराशि	=	7,00,000.00
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति के भाग-2 के शर्त संख्या 6 के अनुपालन में एस0एम0सी0 प्लान हेतु देय धनराशि	=	1,75,000.00
कुल देय धनराशि	=	8,75,000.00

कुल जमा की जाने वाली धनराशि (रुपये में) 8,75,000.00 (आठ लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त चालान की सत्यापित प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

पत्रांक 1364 / 12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1969/36 मि

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।